

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2013 का दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं0-3803

=====

सुधीर कुमार झा, पुत्र-स्वर्गीय विंध्य नाथ झा निवास-स्टेशन रोड, डाकघर, थाना
और जिला-मधेपुरा वर्तमान निवास- 103, पुष्प भारती अपार्टमेंट, सरदार पटेल पथ,
उत्तर एस. के. पुरी, थाना-कृष्णा पुरी, जिला-पटना।

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बेली रोड,
पटना
3. पंजीयक, नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, बेली
रोड, पटना
4. सरकार के संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना

..... उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिती:

याचिकाकर्ताओं के लिए	:	श्री तेज बहादुर सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मानोज कुमार झा सुश्री सुची भारती
राज्य के लिए	:	श्री सत्य व्रत, ए. सी. से जी. पी. 10 श्री अनवर करीम, ए. सी. से जी. पी. 10
उत्तरदाताओं के लिए 2-3	:	श्री आर. के. शुक्ला श्री प्रत्यूष प्रताप सिंह श्री रितु राज शुक्ला

=====

सेवा कानून---बिहार निजी शिक्षण संस्थान (अधिग्रहण) अधिनियम, 1987---धारा
6(2), (3),(4), 11(1)---ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक

परिवर्तन संस्थान (सेवा शर्त) नियम, 2004--नियम 8--ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (सेवा शर्त) नियम, 2017---धारा 10--सेवानिवृत्ति की आयु-- याचिकाकर्ता, ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना ("संस्थान") के शिक्षक/व्याख्याता ने संस्थान के दिनांक 22.09.2012 के निर्णय/संकल्प के अनुसार सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया, जिसके द्वारा संस्थान के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित की गई है-- राज्य की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता ने 31.03.2013 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और इस दृष्टि से याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। वर्ष 2017 में एक व्यापक नियम लागू हुआ, इसलिए याचिकाकर्ता 2017 के नियमों का लाभ नहीं उठा सकता।

निर्णय: याचिकाकर्ता ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 31.03.2013 को संस्थान के शासी निकाय/प्रबंध समिति के दिनांक 22.09.2012 के निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि 65 वर्ष निर्धारित करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2013 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था तथा संस्थान को याचिकाकर्ता की सेवाओं की निरंतरता के संबंध में निर्देश दिया था और उसने 31.03.2013 के बाद संस्थान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा। वर्ष 2017 में, जब 2017 के नियम लागू हुए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर पहले से ही संस्थान में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। इसी प्रकार, याचिकाकर्ता के साथ संस्थान की सेवाओं में शामिल किए गए शिक्षकों को भी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष बढ़ाने का लाभ दिया गया है। वर्ष---- याचिकाकर्ता को 2017 के नियमों के नियम 10 के लाभ से इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता कि उसने 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 31.03.2013 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है--- प्रतिवादी प्राधिकारियों को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष मानने तथा सभी परिणामी और मौद्रिक लाभ देने

का निर्देश दिया जाता है--- रिट आवेदन स्वीकार किया जाता है। (पैरा 27, 35, 38, 39)

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

समक्ष:- माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा

न्याय और आदेश

सी ए वी।

तारीख:24-04-2024

याचिकाकर्ता, जो ललित नारायण मिश्रा आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन संस्थान, पटना (संक्षेप में, 'संस्थान') में शिक्षक/व्याख्याता के रूप में काम कर रहे थे, ने सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया है।

2. याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत, प्रतिवादियों को संस्थान के दिनांक-22.09.2012 निर्णय/संकल्प को लागू करने का निर्देश देने के लिए है, जिसके द्वारा संस्थान के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तय की गई है।

3. संस्थान की स्थापना एक निजी शैक्षणिक संस्थान के रूप में की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने 1987 के अधिनियम 11, अर्थात् बिहार निजी शैक्षणिक संस्थान (अधिग्रहण) अधिनियम, 1987 (इसके बाद '1987 अधिनियम' के रूप में संदर्भित) के आधार पर अपने नियंत्रण में ले लिया था।

4. 1987 के अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, अधिसूचना की तारीख से, संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं रहेंगे, बशर्ते कि वे राज्य सरकार द्वारा उप-धारा (3) और (4) के तहत निर्णय लिए जाने तक तदर्थ आधार पर संस्थान की सेवा करते रहेंगे। 1987 के अधिनियम की धारा 6 के उपखंड (2) में कहा गया है कि राज्य सरकार विशेषज्ञों और जानकार व्यक्तियों की एक या अधिक समितियों का गठन करेगी जो शिक्षण कर्मचारियों के प्रत्येक सदस्य

के जैव-डेटा की जांच करेगी और यह पता लगाएगी कि क्या नियुक्ति, पदोन्नति या पुष्टि विश्वविद्यालय विनियमन या सरकारी निर्देश/परिपत्र के अनुसार की गई थी और योग्यता, अनुभव, शोध डिग्री आदि जैसी अन्य सभी प्रासंगिक सामग्रियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। 1987 के अधिनियम की धारा 6 के उपखंड (3) में कहा गया है कि राज्य सरकार, यथास्थिति, समिति या समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने पर, शिक्षण कर्मचारियों के प्रत्येक सदस्य के संबंध में प्रत्येक मामले के गुण-दोष के आधार पर निर्णय लेगी कि क्या उसे सरकारी सेवा में शामिल किया जाए या उसकी सेवा समाप्त की जाए या उसे एक निश्चित अवधि या अनुबंध पर तदर्थ आधार पर बने रहने की अनुमति दी जाए और जहां आवश्यक हो, पद, वेतन, भत्ता और सेवा की अन्य शर्तों का पुनर्निर्धारण करेगी।

5. बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने पत्र सं. 1099, दिनांक 11.08.1986, सरकार के संयुक्त सचिव के हस्ताक्षर के तहत संस्थान के प्रशासक को संबोधित करते हुए, जिसमें कहा गया है कि संस्थान को दिनांक-19.04.1986 को राज्य सरकार द्वारा अपने हाथ में ले लिया है और सरकार ने निर्णय लिया है कि संस्थान के शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को, संस्थान के अधिग्रहण की तारीख से, विभिन्न विश्वविद्यालयों में काम करने वाले शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समान वेतनमान, महँगाई भत्ता और अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।

6. याचिकाकर्ता तथा अन्य समान स्थिति वाले शिक्षकों अर्थात् डॉ. शिवदेव सिंह एवं अन्य की सेवाएं, दिनांक 03.05.2006 की अधिसूचना द्वारा, 1987 अधिनियम की धारा 6(3) के अनुसार 18.04.1986 से संस्थान की सेवाओं में समाहित कर ली गयीं।

7. याचिकाकर्ता ने वर्तमान रिट आवेदन वर्ष 2013 में 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले दायर किया था, जो कि प्रतिवादियों के अनुसार संस्थान के लिए पहले से निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु थी।

8. इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2013 के आदेश के तहत प्रतिवादियों को जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश देते हुए याचिकाकर्ता के

पक्ष में अंतरिम आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि यदि संस्थान सरकारी संस्थान नहीं है और यह विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत किसी अन्य शिक्षण संस्थान की तरह है, तो याचिकाकर्ता सेवा की निरंतरता का हकदार होगा।

9. याचिकाकर्ता की आयु 31.03.2013 को 60 वर्ष हो चुकी थी। हालांकि, अंतरिम आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता वर्ष 2018 में 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक शिक्षक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा।

10. संस्थान का कहना है कि न्यायालय के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने 2013 से 2018 की अवधि के बीच काम करना जारी रखा, लेकिन "अतिथि संकाय" के रूप में।

11. संस्थान की प्रबंध समिति ने दिनांक 08.07.2006 की अपनी बैठक में शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने का संकल्प लिया और संस्थान ने ज्ञापन संख्या 634 के अंतर्गत दिनांक 04.08.2006 को कार्यालय आदेश जारी किया, जिसमें दर्शाया गया कि सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है।

12. मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने पत्रांक 2925, दिनांक 07.12.2011 के द्वारा एक संकल्प जारी किया, जो बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों को संबोधित था, तथा उन्हें सूचित किया गया कि राज्य सरकार ने 30.06.2010 से विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तिथि 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया है।

13. उपर्युक्त संकल्प के आलोक में, संस्थान के शासी निकाय/प्रबंध समिति ने दिनांक 22.09.2012 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा संख्या 10 को स्वीकार किया, जो संस्थान के शिक्षकों की अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के संबंध में था तथा ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (सेवा शर्तें) नियमावली, 2004 (संक्षेप में 'नियमावली 2004') के नियम 8 में संशोधन की संस्तुति की गई।

14. राज्य सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में एआईसीटीई के मानदंडों के अनुसार इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ-साथ पॉलिटेक्निक कॉलेजों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से 65 वर्ष करने का भी संकल्प लिया है और इसे राज्य सरकार द्वारा ज्ञापन संख्या 2131, दिनांक 14.09.2012 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

15. कुछ समान स्थिति वाले शिक्षकों, अर्थात् डॉ. शिवदेव सिंह और अन्य ने सेवानिवृत्ति की तिथि 65 वर्ष निर्धारित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3473/2015 दायर किया। सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3473/2015 के रिट याचिकाकर्ताओं को 03.05.2006 की अधिसूचना के अनुसार याचिकाकर्ता के साथ संस्थान में शिक्षक के रूप में शामिल किया गया था। इस न्यायालय द्वारा रिट याचिका का निपटारा 25.06.2015 के आदेश के अनुसार किया गया, जिसमें बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को रिट याचिकाकर्ताओं के अधिकार और दावे पर विचार करने का निर्देश दिया गया।

16. प्रधान सचिव ने डा. शिवदेव सिंह एवं अन्य के दावे पर विचार किया तथा अपने आदेश दिनांक 14.03.2018 द्वारा उन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु ललित नारायण मिश्र आर्थिक विकास एवं सामाजिक परिवर्तन संस्थान (सेवा शर्त) नियमावली, 2017 (संक्षेप में '2017 नियमावली') के अनुसार 65 वर्ष निर्धारित करने का निर्णय लिया।

17. यह बताना प्रासंगिक है कि 1987 अधिनियम की धारा 11 (1) के अनुसार, 2017 नियम 28 जून, 2017 से प्रभावी हो गए हैं, और 2017 नियम की धारा 10 के अनुसार, शिक्षण पदों के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों का राज्य सरकार के आदेश के अनुसार संस्थान द्वारा पालन किया जाएगा।

18. इसमें कोई विवाद नहीं है कि राज्य सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदंडों के अनुसार विश्वविद्यालयों के शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 30.06.2010 से 65 वर्ष निर्धारित की है।

19. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संस्थान का कार्यभार संभालने के बाद, संस्थान के सभी कर्मचारी संस्थान के कर्मचारी नहीं रहेंगे, लेकिन वे राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की उप-धारा (3) और (4) के तहत कर्मचारी को सरकारी सेवा में समाहित करने का निर्णय लिए जाने तक तदर्थ आधार पर संस्थान में सेवा करते रहेंगे। याचिकाकर्ता और इसी तरह की स्थिति वाले आठ अन्य शिक्षकों को राज्य सरकार ने अधिसूचना, दिनांक 03.05.2006 के तहत समाहित कर लिया था।

20. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने अधिनियम 1987 के आधार पर संस्थान को अपने अधीन लेते हुए पत्रांक 1099, दिनांक 11.08.1986 के द्वारा संस्थान के प्रशासक को निर्देश दिया था कि संस्थान को बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समान वेतनमान, महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएं सुनिश्चित की जाए।

21. संस्थान का कार्यभार संभालने के बाद, प्रबंध समिति ही संस्थान के मामलों के संबंध में निर्णय लेती है, जिसमें शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवा शर्तें शामिल हैं। इसलिए, संस्थान की प्रबंध समिति द्वारा सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय, निर्णय की तिथि अर्थात् 22.09.2012 से लिया गया माना जाएगा। इससे पहले, संस्थान के शासी निकाय की बैठक 08.07.2006 को हुई थी और संस्थान में कार्यरत कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई थी।

22. वर्तमान रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान, संस्थान के पांच समान स्थिति वाले शिक्षकों, अर्थात् डॉ. शिवदेव सिंह और अन्य ने एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यरत अन्य शिक्षकों के समान सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष निर्धारित करने के लिए प्रारंभिक राहत के साथ इस न्यायालय के समक्ष सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3473/2015 दायर की। सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3473/2015 में पारित आदेश के अनुसरण में, शिक्षा विभाग ने दिनांक 14.03.2018 के आदेश के माध्यम से उन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी।

23. शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने ज्ञापांक संख्या 779, दिनांक 28.06.2017 के द्वारा अधिनियम 1987 की धारा 11(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 2017 नियमावली को अधिसूचित किया तथा 2017 नियमावली की धारा 10 के अनुसार संस्थान के शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानदण्डों द्वारा निर्धारित आयु के अनुसार निर्धारित की गई है।

24. जब याचिकाकर्ता ने 26.03.2013 को इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 20.03.2013 के आधार पर अपने पद पर बने रहने की अनुमति के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया, तो याचिकाकर्ता को बिना किसी प्रतिबंध और हस्तक्षेप के कक्षाएं लेने और प्लेसमेंट और छात्र सेल प्रमुख सहित सभी कर्तव्यों का पालन करने की अनुमति दी गई थी। याचिकाकर्ता को 22.02.2018 तक प्लेसमेंट और छात्र सेल प्रमुख के कर्तव्यों सहित अन्य कर्तव्यों को निभाने के लिए कक्षा के समय के बाद और पहले संस्थान के परिसर में रहना आवश्यक था। याचिकाकर्ता अतिथि संकाय के रूप में काम नहीं कर रहा था और अतिथि संकाय के सदस्यों को कक्षा के समय को छोड़कर संस्थान परिसर में रहने की आवश्यकता नहीं है और उसके बाद उन्हें संस्थान छोड़ने की आवश्यकता होती है। संस्थान ने याचिकाकर्ता को कभी भी सूचित नहीं किया कि उसे अतिथि संकाय के रूप में माना जा रहा दिनांक-22.02.2018 को याचिकाकर्ता के अपने पुत्र के इलाज के संबंध में मुम्बई गया था, जहां दुर्भाग्यवश दिनांक- 05.04.2018 को उसके पुत्र की मृत्यु हो गई। अपने पुत्र के उपचार के संबंध में याचिकाकर्ता की अनुपस्थित रहने के कारण संस्थान में याचिकाकर्ता का कार्यालय सभी कागजातों के साथ याचिकाकर्ता को बिना कोई सूचना दिए तथा बिना कोई सूची तैयार किए खाली कर दिया गया। संस्थान द्वारा कार्यालय में रखे सभी कागजात बाहर निकाल लिए गए, जिसके कारण याचिकाकर्ता नो बकाया प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका

25. इसके विपरीत, संस्थान के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि संस्थान के शासी निकाय/प्रबंध समिति द्वारा दिनांक 22.09.2012 की बैठक में संस्थान के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से 65 वर्ष करने के संबंध में लिया

गया निर्णय लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि इस संबंध में निर्णय लेने तथा नियमों में आगे संशोधन करने के लिए राज्य सरकार ही अंतिम प्राधिकारी है।

26. सी.डब्ल्यू.जे.सी. संख्या 3473/2015 में पारित आदेश के अनुपालन में, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव द्वारा दिनांक 14.03.2018 को एक आदेश पारित किया गया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं, अर्थात् डॉ. शिवदेव सिंह और दो अन्य की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष कर दी गई। चूंकि याचिकाकर्ता 14.03.2018 के आदेश से बहुत पहले और 2017 के नियम लागू होने से पहले 31.03.2013 को सेवानिवृत्त हो चुके थे, इसलिए, सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का लाभ याचिकाकर्ता को नहीं दिया जा सकता है। याचिकाकर्ता का यह तर्क कि वह 31.03.2013 के बाद सेवानिवृत्ति के बाद संस्थान में काम कर रहा था, इस आधार पर स्वीकार्य नहीं है कि वह अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा था न कि स्थायी शिक्षक के रूप में।

27. दूसरी ओर, राज्य के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने 31.03.2013 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली थी और इस दृष्टि से, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। वर्ष 2017 में एक व्यापक नियम लागू हुआ, इसलिए, याचिकाकर्ता 2017 के नियमों का लाभ नहीं उठा सकता।

28. पक्षों की ओर से प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद, एकमात्र बिंदु, जिसे वर्तमान रिट आवेदन में निर्धारण की आवश्यकता है, वह यह है कि क्या याचिकाकर्ता अपनी सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के लाभ का हकदार है।

29. याचिकाकर्ता को दिनांक 03.05.2006 की अधिसूचना के तहत आठ अन्य शिक्षण कर्मचारियों के साथ 1987 अधिनियम के तहत स्क्रीनिंग के बाद संस्थान की सेवाओं में शामिल किया गया था।

30. वर्ष 2004 नियमावली के नियम 8 के अनुसार, प्रारंभ में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष निर्धारित की गई थी 08.07.2006 को आयोजित

संस्थान के शासी निकाय/प्रबंध समिति की बैठक में संस्थान के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई।

31. सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा संस्थान के प्रशासक को संबोधित पत्र, दिनांक 11.08.1986, में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार ने निर्णय लिया है कि संस्थान के शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों को संस्थान के अधिग्रहण की तिथि से विभिन्न विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समान वेतनमान, महंगाई भत्ता एवं अन्य सुविधाएं दी जानी चाहिए।

32. मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार ने दिनांक 07.12.2011 को निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयों के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की तिथि 30.06.2010 से 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष कर दी जाएगी।

33. संस्थान की शासी निकाय/प्रबंध समिति ने 22.09.2012 को आयोजित अपनी बैठक में एजेंडा संख्या 10 के अंतर्गत संस्थान के शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया तथा 2004 के नियमों के नियम 8 में संशोधन की संस्तुति की। 2004 के नियमों के नियम 8 में आवश्यक संशोधन राज्य सरकार द्वारा 1987 अधिनियम की धारा 11 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाना था।

34. राज्य सरकार द्वारा नियमों में संशोधन के मद्देनजर संस्थान के शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है। राज्य और/या संस्थान शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष निर्धारित करने पर विवाद नहीं कर रहा है, बल्कि इसे स्वीकार कर रहा है।

35. याचिकाकर्ता ने 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले 31.03.2013 को संस्थान के शासी निकाय/प्रबंध समिति के दिनांक 22.09.2012 के निर्णय के अनुसार याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की तिथि 65 वर्ष निर्धारित करने के लिए वर्तमान रिट आवेदन दायर किया था। इस न्यायालय ने दिनांक 20.03.2013 के आदेश के तहत याचिकाकर्ता को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया और याचिकाकर्ता की सेवाओं की निरंतरता के संबंध में संस्थान को निर्देश दिया और संस्थान की ओर से

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि न्यायालय के आदेश के आधार पर याचिकाकर्ता ने अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा, लेकिन अतिथि संकाय के रूप में, जिसका अर्थ है कि याचिकाकर्ता को 31.03.2013 को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद हटाया नहीं गया और उन्होंने 31.03.2013 के बाद संस्थान में अपने कर्तव्यों का निर्वहन जारी रखा याचिकाकर्ता की आयु 31.03.2018 को 65 वर्ष होनी थी।

36. इस न्यायालय ने याचिकाकर्ता की सेवा जारी रखने का निर्देश देते हुए कभी यह निर्देश नहीं दिया कि याचिकाकर्ता को संस्थान में अतिथि शिक्षक के रूप में काम करने की अनुमति दी जाए और प्रतिवादी अधिकारियों ने इस न्यायालय द्वारा पारित 20.03.2013 के अंतरिम आदेश को कभी चुनौती नहीं दी और इसके बजाय, उसी के अनुपालन में याचिकाकर्ता को संस्थान में शिक्षण पद पर काम करने की अनुमति दी गई। इसलिए, प्रतिवादी अधिकारियों का यह तर्क कि याचिकाकर्ता संस्थान में अतिथि शिक्षक के रूप में काम कर रहा था, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है।

37. इस रिट आवेदन के लंबित रहने के दौरान समान स्थिति वाले कुछ शिक्षकों ने सीडब्ल्यूजेसी संख्या 3473/2015 दाखिल करके इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसमें सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष तक बढ़ाने के लिए समान राहत की मांग की गई थी और इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने अपने आदेश, दिनांक 25.06.2015 के तहत, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को उनकी सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने के लिए उनके मामलों पर विचार करने का निर्देश दिया था। प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार ने वर्ष 2017 में अधिनियम 1987 की धारा 11 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा तैयार एक व्यापक नियम के आधार पर याचिकाकर्ता के साथ समान स्थिति वाले शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्णय लिया, 10 जुलाई, 2017 को अधिसूचित किया गया। 2017 नियमावली की धारा 10 के अनुसार, शिक्षण पदों की सेवानिवृत्ति आयु के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंड का अनुपालन संस्थान द्वारा राज्य सरकार के आदेश के

अनुरूप किया जाएगा तथा संस्थान के प्रशासनिक पदाधिकारियों एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु सीमा राज्य सरकार के कर्मचारियों के अनुरूप होगी।

38. वर्ष 2017 में, जब 2017 नियम लागू हुए, याचिकाकर्ता इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के आधार पर पहले से ही संस्थान में शिक्षक के रूप में काम कर रहा था। तदनुसार, मेरी राय में, याचिकाकर्ता को इस आधार पर 2017 नियम के नियम 10 के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उसने 60 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद 31.03.2013 को सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर ली है।

39. उपर्युक्त चर्चा की पृष्ठभूमि में और 2017 के नियमों के नियम 10 के प्रावधानों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले शिक्षक, जो याचिकाकर्ता के साथ संस्थान की सेवाओं में शामिल किए गए थे, को 65 वर्ष की सेवानिवृत्ति की आयु में वृद्धि का लाभ दिया गया है, मैं प्रतिवादी अधिकारियों को याचिकाकर्ता की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष मानने और याचिकाकर्ता को सभी परिणामी और मौद्रिक लाभ का भुगतान करने का निर्देश देता हूं, जिसमें उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 31.03.2018 को 65 वर्ष मानी गई है।

40. परिणामस्वरूप, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

41. लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(अनिल कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

प्रभाकर आनंद/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।